

3/11/17

पञ्जावली लोक अदालत केम कोई मेकपुरा
 क्षेत्र में पेशा हुई। इस न्यायालय द्वारा
 पारित प्राथमिक डिडी के मुक में तहसीलदार
 बुन्दी से केवला प्रसाद जाफ़ हो चुके ही
 जाफ़ केवला प्रसाद एवं उसके लेखक
 नजरी बकशे क्रिगुलर पक्षकारों के मध्य
 भूमि का विभाजन किया जाया है जिसके
 क्रिगुलर काडी देवलाय पिं गोरीलाल कीम
 मेकवाल के हिस्से में भूमि ख. सं. 568/2
 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं ख. सं. 580/1
 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा किता-2 रकबा 3 बीघा
 6 बिस्वा भूमि रहेगी। जतिकारी दुर्गासाल,
 मनराज (नाबा.) पिं रामेश्वर, पार्वती, किरण
 (नाबा.) राजेश (नाबा.) मनीषा (नाबा.) पुषिमां
 रामेश्वर, इन्डाबाई पत्नी एवं रामेश्वर (नाबा.)
 मनराज, किरण, राजेश, मनीषा संरक्षक मात्र
 इन्डाबाई हि. 1/2 तथा नसर बाई पुत्री काटा
 हि. 1/2 कोम मेकवाल के खाते में ^{संयुक्त रूप से} भूमि ख. सं. 568/1
 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि रहेगी।
 राधाबाई पत्नी रामचंद्र कोम मेकवाल के
 खाते में भूमि ख. सं. 580/2 रकबा 4 बीघा
 भूमि रहेगी। इकरानुसार जाफ़ प्रसाद क्रिगुलर
 पक्षकारों के मध्य भूमि विभाजन किया
 जाकर भूमि विभाजन की अनिश्चय डिडी
 पारित की जाती है। नियमानुसार स्थान
 पेशा होने पर डिडी पच्छा जाती किया जाये
 जाफ़ प्रसाद श. नि. रहे। पञ्जावली केसले
 में शुमर होकर बाड इति नियमानुसार
 दायित्व पक्षर की जाये।